प्रमाणित प्रतिलिपि 767 दिनांक 3/7/2024
राजस्व वाद/आवेदन/अपील नं. 19/2024
.... बनाम ....

भेराराम बनाम गणेश चौधरी
2024/31
निर्णय दिनांक:—01.07.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

आवेदन संख्या:—19/2024 दर्ज तिथि:—29.01.2024

1. भेराराम पुत्र पुरखाराम
   जाति जाट निवासी गोदारों की बेरी, पटवार हल्का अरणियाली, तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर ....प्रार्थी

बनाम

1. गणेश चौधरी ठेकेदार चौधरी कन्स्ट्रक्शन कंपनी सांचोर
2. सहायक अभियंता, नर्मदा नहर परियोजना चर्तुथ खण्ड, कार्यालय रामजी का गोल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना ....अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थी:—श्री देवाराम चौधरी
अप्रार्थी:— श्री ओमप्रकाश विश्नोई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—212
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

मूल से मिलान किया गया।
जो सही पाया गया।

—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:—01.07.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने निम्न प्रकार निवेदन किया:—
   - कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा गोदारों की बेरी पटवार हल्का अरणियाली में खेत खसरा संख्या 191/0.0324 है0, किस्म गै.मु.ढाणी, 197/0.6070 है0, बा.अव्वल, 554/195/0.9712 है0,बा.दो. 555/195/0.5566 है0,बा.दो. 157/153/0.4209 है0 बा.दो.की आई हुई है।
   - प्रार्थी के उक्त खातेदारी भूमि के पुराना खसरा संख्या 195 व नवीन खसरा संख्या 554/195 व 555/195 ... अप्रार्थीगण द्वारा जानबूझ कर बिना प्रार्थी के भूमि का ... निकाल कर सड़क बनाने पर उतारू है। इस बाबत विभाग से उक्त भूमि को नपवाकर कटी हुई भूमि जो कि अप्रार्थीगण संख्या 02 के विभाग की ... में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:08:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

प्रमाणित प्रतिलिपि
AC/SDO धोरीमना

भैराराम बनाम गणेश चौधरी
2024/31
निर्णय दिनांक 01.07.2025

उल्लेखनीय है कि नहर निर्माण व उसके रखरखाव का मार्ग जनहित का कार्य है। जिसे रूकवाने पर सामान्य आमजन को असुविधा होगी। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति उत्पन्न होना प्रतीत नहीं होती है।

32. प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का कथन है कि उक्त सडक कटान मार्ग पर नहीं बनायी जाकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी में बनायी जा रही है। इस पर अप्रार्थी का कथन है कि तहसीलदार धोरीमना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में उक्त निर्माण/रखरखाव नहर विभाग की अवाप्तसुदा भूमि में ही किया जा रहा है जिसे प्रार्थी द्वारा बाड़ बनाकर रोका गया है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि जिस नहर के रखरखाव को रूकवाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वह पक्की नहर बनकर विगत 15 वर्षों मौके पर चल रही है तथा वर्तमान में नहर के किनाने उगी झाड़ियों को काटने व रखरखाव को रोकने की गलत मंशा से पेश किया है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त आराजी के मौके पर रोक लगाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में आमजन को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

33. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट नहीं होने, प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति प्रतीत नहीं होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में सार्वजनिक हित को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होताहै।अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजी पर दिनांक 29.01.2024 को न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है।

आज दिनांक 01.07.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
धोरीमना–बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:08:51 IST
Reason: SelfAttested